न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिंह आर.ए.एस
अपील संख्या 146/2025 एल आर एक्ट (GCMS No 2025/ 160)
अनवान महिमा अल्प व्यस्क द्वारा प्राकृतिक संरक्षिका माता मनीषा बनाम शीशपाल उर्फ शिवपाल, वगैरह
अपील विरूद्व आदेश– अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ अपील सं. 40/2022 दिनांक 10.07.2024

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.01.2026	अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित। आज क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.07.2024 किस धारा के अन्तर्गत निर्णय पारित किया है निर्णय में उल्लेख नही है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.07.2024 के विरूद्व उपरोक्त अनुवान की अपील इस न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश की गई है जो इस न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार में है। अतः अपील को क्षेत्राधिकार में मानते हुए सुनवाई हेतु आगामी कार्यवाही की जावे। हमने अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा क्षेत्राधिकार के बिन्दू पर विचार किया । प्रस्तुत अपील अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 10.07.2024 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 48/53 खाता विभाजन से संबधित है । उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है जिसको सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नही है। अतः यह अपील इस न्यायालय कें क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण मूल अपील मय दस्तावेज अभिभाषक अपीलान्ट को वापिस लौटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अपीलान्ट चाहे तो संक्षम न्यायालय मे चाराजोई कर सकता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर	29/1/26